न्यायालय सहायक कलक्टर कोटकासिम (अलवर) राज0

पीठासीन अधिकारी :— गगांधर मीणा (R.A.S.)

दावा सख्या
185/2002

रजू दिनांक
30.03.2002

पर्चा डिक्री दिनांक
28.4.22

उनवान

1. रामकंवार
2. रामकरण पुत्रान जयराम
3. रामशरण पुत्र जयराम (मृतक)
3/1 रमेश देवी पत्नी रामशरण
3/2 राकेश पत्रु रामशरण
3/3 बबिना देवी पुत्री रामशरण
3/4 महीपाल पुत्र रामशरण
4. रामाअवतार पुत्र जयराम
5. राजकरण पुत्र जयराम
6. शिवलाल पुत्र जयराम
7. रामफल पत्रु जयराम जाति अहीरान निवासीयान ग्राम आनाका तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0।

..... वादीगण

1. जीतराम पुत्र भूपसिंह
1/1 सरती देवी पत्नी जीतराम
1/2 मामचन्द
1/3 धर्मचन्द पुत्रान जीतराम
1/4 भाना देवी पुत्री जीतराम
1/5 महेन्द्र पुत्र जीतराम जाति अहीरान ग्राम आनाका
2/2 सुरेन्द्र पुत्र शेरसिंह
2/2/1 लाडोदेवी पत्नी सुरेन्द्र जाति अहीरान ग्राम आनाका
2/2/2 प्रीति पुत्री सुरेन्द्र जाति अहीरान ग्राम आनाका तहसील कोटकासिम
2/3 रतनलाल पुत्र शेरसिंह जाति अहीर ग्राम आनाका तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0।
2/4 राजो पुत्री शेरसिंह पत्नी रमेशचन्द जाति अहीर ग्राम नयागॉव तहसील व जिला रेवाडी हरि0।
2/5 धनवन्ती पुत्री शेरसिंह पत्नी शिवलाल जाति अहीर ग्राम मौकलवास तहसील व जिला गुरूगाम हरि0।
2/6 मीना पुत्री शेरसिंह पत्नी रामनिवास जाति अहीर ग्राम बाछोद तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ हरि0।
3. मातादीन पुत्र कन्हैया
4. शिवदयाल

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

5. सुबेसिंह पुत्रान जगराम
6. विष्णुदत्त
7. छोटेलाल
8. जयपाल पुत्रान जगराम जाति अहीरान ग्राम आनाका तहसील कोटकासिम
9. लालमन पुत्र सोहनलाल
10 प्रहलाद पुत्र सोहनलाल
11/1 भूपेन्द पुत्र लालाराम
11/2 धनसिंह पुत्रान लालाराम जाति अहीरान
11/3 किरणदेवी पुत्री लालाराम
11/4 सुनीता पत्नी लालाराम जाति अहीरान ग्राम आनाका तहसील कोटकासिम।
12. रोशनलाल पुत्र हेमकरण जाति अहीर ग्राम आनाका तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0।

—: प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

—: निर्णय :—

दिनांक :— 28.4.22

उपस्थिति :—
1— श्री पवन यादव, वकील वादी
2— श्री बलराम यादव, वकील प्रतिवादी

मिन वादीगण वाद निम्न प्रस्तुत है :—
यह है कि आराजी साबिक खसरा नम्बर 2/171 रकबा 16—15 बिस्वा स्थित ग्राम आनाका तहसील कोटकासिम है कि जिसके हाल खसरा नम्बर 15/9—14, 16/4—11, 38/2—4, 39/1—8, 4/2—00 में रकबा शामिल कर बनाये गये है। विवादित आराजी साबिक 2/171 रकबा 16—15 में मिन वादीगण के पिता जयराम पुत्र नत्यू का निस्फ भाग अर्थात रकबा 8 बीघा 7 बिस्वा खातेदारी एवं कब्जा काश्त की आराजी थी जो बतोर खातेदार काबिज था ओर उनके नाम का अमल भी राजस्व रिकोर्डस में हो रहा है। विवादित आराजी साबिक खसरा नम्बर 2/171 के निस्फ भाग अर्थात रकबा 8 बीघा 7 बिस्वा पर मिन वादीगण का पिता अपने जीवनकाल में बहेसियत खातेदार काबिज वो दखील रहा और उसके मरने के बाद मिन वादीगन बहेसियत खातेदार काबिज हो गये। भू—प्रबंध विभाग द्वारा जो विवादित आराजी के नये नम्बरान पैमूद किये उनमें हाल खसरा नम्बर 15 जिसमें कि साबिक 2/171 का 8—13 बिस्वा शामिल किया गया था का 1/2 मिन वादीगण के पिता के नाम जमाबन्दी 2029 में दरज कर दिया अर्थात वादीगण के पिता को उसके हिससे 8 बीघा 7 बिस्वा में से रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा रकबा मिल गया व वादीगण के पिता का शेष रकबा 3 बीघा 10 दरज नही किया गया। हालाकि वादीगण की ओर से यह रकबा हाल 15 का अपना 1/2 भाग रतीराम वगैरा को मुन्तकिल कर दिया गया। जिसके नाम हाल जमाबन्दी में अमल हो गया है। वादीगन के पिता का जो रकबा खातेदारी में दरज नही किया गया वो भू—प्रबंध विभाग द्वारा हाल खसरा नम्बर

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

38/2–4, 39/1–8 बनाया गया है। यह आरजी इस वाद में अब विवादित आराजी रह गई है। विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 38 व 39 से प्रति का कोई किसी प्रकार का सरोकार वो सम्बंध या कब्जा काश्त ना तो था ना है ही वो काबिज हुये ना अब काबिज है ना ही उनके नाम साबिका रिकोर्डस में अमल है बल्कि यह आराजी मिन वादीगन की खातेदारी कब्जा काश्त की आराजी है मौका पर बतोर खातेदार काबिज है जबकी प्रतिवादीगन गेर काबिज गेरवास्ता है। विवादित आराजी की बाबत राजस्व विभाग के कर्मचारिगण एवं भू–प्रबंध विभाग के कर्मचारिगण ने पूर्व के रिकोर्डस आफ राइटस एवं मौका के कब्जा काश्त के विपरित खसरा नम्बर 38 का अमल बहक प्रतिवादीगन 1 लगायत 8 का दिया खसरा नम्बर 39 का अमल बहक प्रतिवादीगन 11, 12 के कर दिया कि जो अमल सरीहन खिलाफ कानून किया गया है ओर इसके आधार पर प्रतिवादीगन को कोई कब्जा या खातेदारी अधिकार हासिल नही हुये। इस गलत खिलाफ कानून व रिकोर्डस के मौका के विपरित किये गये अमल के आधार के प्रतिवादीगन 1 लगायत 8 ने खसरा नम्बर 38 का एक नुमायशी बयनामा बिना कब्जा बदल वो बिना जरे बदल के बहक प्रतिवादीगन 9 लगायत 12 दिनांक 16.09.97 को करा दिया कि जो बयनामा किसी भी सूरत में विधि सम्मत नही है बल्कि कानून व अधिकार क्षेत्र से बाहर कराया गया है और यह बयनामा सरीहन हकूक वादीगन के विरूद्ध नल एण्ड वाइड है जिससे मिन वादीगन पाबन्द नही है। विवादित आराजी खसरा नम्बर 38, 39 के मिन वादीगन काबिज खातेदारान काश्तकारान है मौका पर वास्तविक कब्जा है एक ही खेत बनाया हुआ है जबकी प्रतिवादीगन गैर काबिज गैर वास्ता है। विवादित आराजी की बाबत प्रतिवादीगन के नाम का अमल बदस्तूर रहने की सूरत में हकूक वादीगन जायल होते है अतः वादीगन स्वयं को विवादित आराजी के खातेदार करार दिलाने व इसी कदर जमाबन्दी 2029 ता हाल मे आने नाम का अमल कराने व कथित बयनामा को बातिल वो बेअसर करार दिलाने के अधिकारी है। ओर अपने हकूको की रक्षार्थ वाद पेश करना लाजिम आया है। प्रतिवादीगन 9 लगायत 12 ने दिनांक 27.03.98 को मिन वादीगन के शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त में महामहत पैदा की व अपने हकमें अमल होना व बयनामा करना जाहिर किय जिससे समस्त स्थिति का ज्ञान हुआ नकले प्राप्त की गई है यदि प्रतिवादी अपने नापाक इरादे कब्जा करना वो मुन्तकिले करने में सफल होते है तो वादगन को हर सूरत में नापूर्ती होन वाली क्षति होगी दीगर मुकदमाबाजी में पडना पडेगा अपने हकूक खातेदारी अधिकारो की आराजी से वांचित होना पडेगा। अतः वादीगन प्रतिवादी को हुक्मईतनाई दवामी से पान्द कराने के अधिकारी है।

वादी के द्वारा अनुतोष चाहा गया है कि :–

अ– डिक्री इज्राय इश्तकरारहक बहक वादीगन पारित की जाकर घोषित किया जावे कि वादीगन हाल खसरा नम्बर 38/2–4, 39/1–8 वाके ग्राम आनाका के खातेदारान है व जो अमल आरजी उक्त का जमाबन्दी 2029 ता हाल में प्रतिवादी के नाम हुआ है व प्रतिवादी 1 लगायत 8 ने 38 का बयनामा 9 लगायत 12 के हकमे दिनांक 16.09.97 को कराया है हकूक वादीगन के विरूद्ध बातिल वो बेअसर है जमाबन्दी 2029 ता हाल में वादीगन के नाम खातेदारी का अमल कराया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

ब– प्रतिवादीगन को हुक्मइम्तनाई दवामी से पाबन्द किया जावे कि वो विवादित आराजी से वादीगन को बेदखल न करे ना कब्जा करे ना काश्त कार्य में रूकावट करे ना अपने हकमें बयनामा के आधार पर अमल करावे ना कही दीगर जगह रहन बैय से मुन्तकिल करे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर बाद विधिवत तलबी करवाए जाने के बाद प्रतिवादीगण उपस्थित होकर जबाव दावा पेश किया। जो निम्न प्रकार से है :–
आराजी ग्राम आनाका तहसील कोटकासिम में स्थित है। विवादित आराजी पर मुताबिक राजस्व रिकोर्डस जमाबन्दी 2029 ता हाल के हिस्सेदारान बतोर खातेदार काबिज रहे है ओर मिन प्रतिवादी 9 लगायत 12 ने विवादित आराजी रिकोर्डस काबिज खातेदारान काश्तकारान से बाजाप्ता बाकायदा प्रतिफल अदा कर बाकब्जा खरीद की है तथा मौका पर काबिज है ओर इन्तकाल इन्द्राज नियमानुसार हुये है। विवादित आराजी की बाबत भू–प्रंबन्ध विभाग के कर्मचारिगण व अधिकारीगण द्वारा सही तोर पर मुताबिक मौका कब्जा काश्त के अमल किये गये है व रिकोर्डस काबिज खातेदारान काश्तकारान ने अपने हकूको की आराजी को बाकब्जा बाजाप्ता प्रतिफल प्राप्त कर मुन्तकिल की है। तथा अब खरीदारान के हकमे इन्तकाल होकर इन्द्राज हो गये है जिनसे वादीगन पाबन्द है। विवादित आराजी के जमाबन्दी 2029 के मुताबिक काबिजान खातेदारान रहे है वादीगन या उनके बुर्जमान का विवादित आराजी से कोई सरोकार वो बुर्जगान का विवादित आराजी से कोई सरोकार वो सबंध या कब्जा काश्त नही रहा ना अब है। प्रतिवादी ने विवादित आरजी को रिकोर्डड काबिज खातेदारान काश्तकारान से बाकब्जा बाजाप्ता प्रतिफल अदा कर जरिये रजिर्स्टड बयनामा खरीद की है व काबिज है। भू–प्रबंध विभाग के कर्मचारिगण व अधिकारीगन एवं राजस्व कर्मचारिगण द्वारा सही तोर पर अमल किये गये है जिनसे वादीगन पाबन्द है ओर इस स्टेज पर अब कोई किसी प्रकार से चेलेन्ज करने को सक्षम नही है। कथित बेचान विधि सम्मत बाकब्जा रिकोर्डड काबिज खातेदारान द्वारा कराया गया है जिससे वादीगन पाबन्द है ओर किसी भी सूरत में नल एण्ड वाइड दिलाने के अधिकारी नही है।

तनकीयात

1. आया वादीगण का पिता साबिक खसरा नम्बर 2/171 रकबा 16 बीघा 15 बिस्वा वाके ग्राम आनाका तहसील कोटकासिम के 1/2 भाग का खातेदार काबिज था?
–: जिम्मे वादी
2. आया हाल खसरा नम्बर 38 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा जो साबिक खसरा नम्बर 2/171 से बना है का अमल दोराने सेटिलमेन्ट प्रतिवादीगन 1 लगायत 8 के नाम जमाबन्दी सम्वत 2029 में खिलाफ कानून हुआ है?
–: जिम्मे वादी
3. आया हाल खसरा नम्बर 39 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा जो साबिक खसरा नम्बर 2/171 से बना है का अमल दोराने सेटिलमेन्ट प्रति0 11 व 12 के नाम जमाबन्दी सम्वत 2029 खिलाफ कानून हुआ है?
–: जिम्मे वादी

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

4. आया खसरा नम्बर 38 रकबा 2–4 बिस्वा का प्रति0 1 लगायत 8 द्वारा प्रतिवादी 9 लगायत 12 के पक्ष में कराया गया बयनामा तहरीरी 20.08.97 तस्दीकी 25.10.97 क्र0 स0 844 वादीगण के हकूको के विरूद्ध बालित व बेअसर है?

–: जिम्मे वादी

5. आया वादीगन खसरा नम्बर 38 व 39 वाके ग्राम आनाका के काबिज खातेदार काश्तकार है ओर जमाबन्दी सम्वत 2029 ता हाल में प्रति0 का नाम हजफ कराकर अपने ना का अमल कराने के अधिकारी है?

–: जिम्मे वादी

6. आया प्रतिवादी सदभावी क्रेता है ओर स्पेशल कोस्ट 5000/– रूपये प्राप्त करने के अधिकारी है?

–: जिम्मे प्रतिवादी

7. दादरसी।

वादीगण ने अपने वादपत्र की ताईद में प्रदर्श–1 मिलान क्षेत्रफल, प्रदर्श–2 नकल जमाबन्दी सम्वत 2022, नकल खतौनी बन्दोबस्त सम्वत 2029 प्रदर्श–3 खतौनी सम्वत 2029 व खसरा नम्बर 38 व 39 है जो प्रतिवादीगण के नाम से गलत आ गई है प्रदर्श–4, नकल बयनामा जो प्रतिवादीगण 1 लगायत 8 ने प्रतिवादी 9 लगायत 12 कराया है वह प्रदर्श–5 है व हाल जमाबन्दी सम्वत 2052 से 2055 जिसमे प्रतिवादी के का गलत अमल है प्रदर्श–6 है। प्रतिवादीगण 9 लगायत 12 ने बयनामा के आधार पर इन्तकाल दर्ज करना चाहा था जो नायब तहसीलदार कोटकासिम ने खसरा नम्बर 38 पर क्रेता का कब्जा न होने की बजह से 29.08.98 को खारिज कर दिया है।

वकील वादी ने लिखित बहस पेश की जो इस प्रकार है :–

1. यह है कि वादीगन द्वारा उपरोक्त अनुवान क वाद माह अप्रैल सन 1998 में न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय किशनगढ–बास में पेश किया था क्योकि उस समय न्यायालय श्रीमान का सृजन नही हुआ था।
2. यह है कि प्रस्तुत वाद क तथ्य इस प्रकार है कि आराजी साबिक खसरा नम्बर 2/171 जिसका रकबा 16 बीघा 15 बिस्वा था जो साबिक रिकोर्ड में वादीगन के पिता जयराम पुत्र नत्यू के नाम 1/2 भाग था जिसका इन्द्राज सम्वत 2022 की जमाबन्दी मे हो रहा है वादीगन के द्वारा वादपत्र के साथ नकल जमाबन्दी प्रर्दश 2 पेश की है।
3. यह है कि साबिक खसरा नम्बर 2/171 के हाल खसरा नम्बर 15 रकबा 9 बीघा 14 बिस्वा, 16 रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा, 38 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा, 39 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा बने है।
4. यह है कि सेटिलमेन्ट करते वक्त वादीगन के पिता के नाम 1/2 भाग दरज होना था परन्तु सेटिलमेन्ट ने जो नया रिकोर्ड तैयार किया उसमें आनी चाहिये थी जो रकबा 8 बीघा 7 बिस्वा बनता है परन्तु सटिलेन्ट विभाग द्वारा 4 बीघा आई जो खसरा नम्बर हाल 15 मे आइ तो खसरा नम्बर 15 में 1/2 भाग है वाकी खसरा नम्बर 16, 38, 39 जो हाल बदोबस्त मे बने उनमें वादीगन के पिता का नाम नही आया जबकी इन नम्बरान में भी वादीगन के पिता के नाम 1/2 भाग आना

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

चहिये था ओर उक्त नम्बरान प्रतिवादीगन जीतराम शेरसिंह पुत्रान भूपसिंह, मातादीन कन्हैया व जगराम पुत्र फूसा के नाम कर दी जबकी साबिक रिकोर्डस में उक्त जीतराम शेरसिह मातादीन जगराम को कोई हिस्सा नही था ना उनका नाम था ना उनका कब्जा था अर्थात उनका इस आराजी से कोई लेना देना नही था परन्तु सेटिलमेन्ट विभाग द्वारा बिना किसी विधिक अधिकार के इन लोगो का नाम दरज का दिया जो रिर्कोडस आफ राइटस के विपरित था।

5. यह है कि कानून सेटिलमेन्ट विभाग को नये व्यक्तियो के नाम ऐन्टरी करने का कोई अधिकार हासिल नही था मगर बिना पूर्व रिकोर्डस में अमल के नये व्यक्तियो के नाम अमल किया जो कानूनी प्रावधानो के खिलाफ है।
6. यह है कि वादीगन द्वारा वाद दायर करने के बाद प्रतिवादीगन अपने जबावदावा मे यह नही बता सके कि नये रिर्कोडस में उनके नाम से यह आराजी कैसे आई, मात्र जबावदावा में यही यही दरज किया कि उपका कब्जा था इसलिये हमारे नाम आई है।
7. यह है कि प्रथम तो प्रतिवादीगण का उस समय कब्जा भी नही था ना आज है जो आगे दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य से ही साबित होगा, दुसरे कब्जा के आधार पर सेटिलमेन्ट विभाग को नई ऐन्टरी करने का अधिकार कानूनन नही होता है। जैसा कि माननीय राजस्व मन्डल व राज0 उच्च न्यायालय की नजीरात से स्पष्ट होता है।
8. यह है कि दावा वो जबाव दावा के आधार पर अदालत श्रीमान द्वारा 8 तनकीयात कायम की गई जिनके 1 लगायत 6 वादीगण को साबित करनी थी व तनकीह स0 7 प्रतिवादीगन को साबित करनी थी व तनकीह सं0 8 अनुतोष बाबत थी।
9. यह है कि तनकीह सं0 1 आया वादीगन का पिता साबिक खसरा नम्बर 2/171 रकबा 16 बीघा 15 बिस्वा वाके ग्राम आनाका तहसील कोटकासिम के 1/2 भाग का खातेदार काबिज था? इस तनकीह को वादीगन ने अदालत श्रीमन में बखूबी साबित किया है साबिक जमाबन्दी सम्वत 2022 जो प्रदर्श 2 है जिसमें वादीगन का पिता 1/2 भाग का काबिज खातेदार राजस्व रिकोर्ड में दर्ज था व मौका पर काबिज था जिससे वादीगन ने तनकीह सं0 1 बखूबी साबित किया है।
10. यह है कि तनकीह सं0 2 '' आया हाल खसरा नम्बर 38 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा जो साबिक खसरा नम्बर 2/171 से बना है का अमल दौराने सेटिलमेन्ट प्रतिवादीगन 1 लगायत 8 के नमा जमाबन्दी सम्वत 2029 में खिलाफ कानून हुआ है? इस तनकीह को भी वादीगन द्वारा अदालत श्रीमान में दौराने अन्वीक्षा दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य से साबित किया है जो नकल मीलन क्षेत्रफल प्रदर्श 1 व जमाबन्दी सम्वत 2029 प्रदर्श 3 व मौखिक साक्ष्य से बखूबी साबित किया है।
11. यह है कि तनकीह सं0 3 ''आया हाल खसरा नम्बर 39 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा जो साबिक खसरा नम्बर 2/171 से बना है का अमल दौराने से सेटिलमेन्ट प्रति0 11 व 12के नाम जमाबन्दी 2029 में खिलाफ कानून हुआ है।
12. यह है कि इस तनकीह को भी साबित करने का भोर वादीगन पर था जिसको वादीगन ने दस्तावेजी साक्ष्य प्रर्दश 1 व 3 तथा मौखिक साक्ष्य से दौराने अन्वीक्षा बखूबी साबित किया है।

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

13. यह है कि तनकीह सं0 4 आया खसरा नम्बर 38 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा का प्रति0 1 ल0 8 द्वारा प्रतिवादीगन 9 लगायत 12 के पक्ष में कराया गया बयनामा तहरीरी 20.08.1997 तस्दीकी 25.08.97 क्रम सं0 844 वादीगन के हकूको के विरूद्ध बातिल वो बेअसर है।

यह है दौराने अन्वीक्षा वादीगन द्वारा साबित किया गया कि प्रतिवादीगन 1 लगायत 8 के सेटिलमेन्ट द्वारा रिकोर्डस आफ राइटस के विरूद्ध सं0 2029 में अमल किया है जबकी साबित रिकोर्डस में वादीगन के पिता जयराम पुत्र नत्थू के नाम से है तो सेटिलमेन्ट को ऐन्टरी तब्दील करने का कोई अधिकार नही था जैसा कि 2001 आर आर टी पेज 440 पर माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा सिद्वान्त प्रतिवादित किया। सेअिलमेन्ट को बिना किसी अधिकार के या बिना किसी आदर्श के नाम परिवर्तन करने का अधिकार नही है यदि कोई बयनामा भी सेटिलमेन्ट के बाद कराया है तो वो बातिल वो बेअसा है उसका कोई महत्व नही है। इसलिए वादीगन द्वारा सबित जमाबन्दी प्रदर्श 2 मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श 1 जमाबन्दी 2029 द्वारा बखूबी साबित किया। प्रतिवादीगन द्वारा ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही की जिससे साबित हो कि फला आदेश के तहत प्रतिवादीगण के नाम अमल आया है ऐसी कोई दस्तावेज न तो प्रतिवादीगन द्वारा पेश किया गया ना ही किसी मौखिक साक्ष्य से बताया गया। जिससे स्पष्ट है कि वादीगन ने इस तनकीह को भली भाती सिद्व किया है।

14. यह है कि तनकीह सं0 5 आया वादीगन खसरा नम्बर 38 व 39 वाके ग्राम आनाका के काबिज खातेदार काश्तकार है जमाबन्दी 2029 ता हाल मे प्रति0 का नाम हजफ कराकर अपने ना का अमल कराने के अधिकारी है?

यह है इस तनकीह सं0 5 को भी वादीगन द्वारा अपनी मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से भी साबित किया है मौका पर कब्जा रिपोर्ट तहसीलदार साहब द्वारा मांगी गई। मौका निरीक्षण करने के उपरान्त क्रेता का कब्जा नही होने के कारन इन्तकाल जो बयनामा के आधार पर पटवारी हल्का द्वारा भरा गया था वो 29.08.98 को खारिज कर दिया गया जो प्रदर्श 6 है इससे साबित है कि मौका पर प्रतिवादीगन का कब्जा नही है ना तो प्रतिवादीगन 1 लगायत 8 का कब्जा है ना ही क्रेतागन 9 लगायत 12 का कब्जा है और बिना कब्जा के कराया गया बयनामा स्वतः ही बातिल वो बेअसर है इस प्रकार इस तनकीह को वादीगन ने बखूबी साबित किया है।

15. यह है कि 6 '' आया प्रति0 सदभावी क्रेता है और जर्ये बयनामा हित प्राप्त है? और जर्ये बयनामा हित प्राप्त है?

यह तहकीह प्रति0 द्वारा साबित करनी थी परन्तु प्रति0 किसी प्रकार से बोनाफाइड परचेजर है साबित करने मे असफल रहे है क्योकि उनका बयनामा का इन्तकल बिना कब्जा 29.08.98 को खारिज किया गया है जो प्रर्दश 6 है प्रतिवादीगन ने प्रीवियश रिकोर्ड व मौका केक कब्जा की बाबत समस्त जानकारी थी मगर उसके बाद भी अपने हकमे बयनमा कराया है जबकी वक्त बयनामा विक्रेतागागन प्रति0 1 लगायत 8 काबिज ही नही थे। इसलिये प्रतिवादीगन इस तनकीह को साबित करने में असफल रहे है।

वादीगन द्वारा अपने वाद में समर्थन में प्रदर्श 1 मीलान क्षेत्रफल प्रदर्श 2 नकल जमाबन्दी सं0 2022 पकन जमाबन्दी खसरा नम्बर 38, 39 प्रदर्श 4 नकल बयनामा प्रदर्श 5 हाल जमाबन्दी स0 2052 से 2055 जिसमें प्रति0 का नाम गलत आया है

उपखण्ड अधिकारी

प्रदर्श 6 खतौनी बन्दोबस्त 2029 प्रदर्श 3 तथा मौखिक साक्ष्य पी.ड 1 राजकरण स्वय वादी,पी.ड. 2 हीरासिंह कब्जा बाबत पडोसी पी.ड. 3 रतीराम कब्जा पडौसी पी.ड 4 श्री राम कब्जा पडोसी सभी स्वतंत्र गवाह है जो आराजी के पडोसी व वही के निवासी है वादीगन का कब्जा बखूबी साबित करते है।

16. यह है कि प्रतिवादीगन की तरफ से कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही की है जिससे साबित हो कि प्रति0 1 लगायत 8 के नाम से कोई साबित रिकोर्ड में अमल हो जिससे साबित है कि सेटिलमेन्ट में प्रति0 के नाम गलत अमल हुआ है। जिसका सेटिलमेन्ट को कोई अधिकार नही था।
17. यह है कि प्रति0 ने बतौर गवाह 5 व्यक्तियो के बयान कराये है जिनमें डी.ड. 1 रोशनलाल ने जिरह में कोई साबित रिकोर्ड अपने नाम नही होना बताया है।

डी.ड. 2 रामफल जिरह में नही बता सका कि प्रतिवादीगन के नाम कैसे आई व कब्जा बताने के बारे में भी असफल रहा है डी.ड 3 डी.ड. 4 डी.ड. 5 एक ही परिवार के है जो जिरह मे स्वीकार करते है कि राजकरण वादी ने हमारे खिलाफ गवाही दी थी इसलिये हम उनके विरूद्ध गवाही देने आये है। जिससे स्पष्ट है कि प्रतिवादीगन की कोई दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य नही है।

18. यह है कि वादीगन की मुख्य परीक्षा मौखिक साक्ष्य से हुई है जबकी प्रति0 की मुख्य परीक्षा मौखिक साक्ष्य से न होकर शपथ से हुई।
19. यह है कि वादीगन ने अपना वाद मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से बखूबी साबित किया है जो काबिल डिक्री है।

अतः लिखित बहस पेश कर निवेदन है कि वाद वादीगन बहक वादीगन डिक्री फरमाया जावे।

वकील प्रतिवादी की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रतिवादी के कथन रहे है विवादित आराजी जरिये रजिस्र्डस से खरीद की हुई है। मौके पर आज दिनांक भी काबिज है। वादी को बयनामा को निरस्त करवाने हेतु सिविल न्यायालय में वाद दायर करना चाहिए था। परन्तु वादी के द्वारा वाद माननीय न्यायालय में वाद दायर किया गया जो विधि विरूद्ध है। वादी का वाद को खारिज फरमाया जावे।

तनकीयात

1. रामकुमार व अन्य के पिता जयराम थे जो कि जमाबन्दी सम्वत 2022 से 2/171 रकबा 16 बीघा 15 बिस्वा के जमाबन्दी में जगराम पुत्र नत्थू निस्फ भाग अंकित है। अतः जमाबन्दी के आधार पर वादी तनकी को सिद्व करने में सफल रहा है। अतः तनकी प्रथम वादी के पक्ष में की जाती है।
2. हाल खसरा नम्बर 38 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा जिसका साबिक खसरा नम्बर 2/171 रकबा 16 बीघा 15 बिस्वा था। सम्वत 2029 के मिलान क्षेत्रफल से स्पष्ट है कि हाल खसरा नम्बरा 38/2–04 के साबिक खसरा नम्बर 2/171 रकबा 16–15 बीघा था एवं सम्वत 2022 के राजस्व रिकोर्ड के आराजी खसरा नम्बर 2/171 में जयराम के नाम का अंकन था परन्तु सम्वत 2029 के राजस्व रिकोर्ड में जयराम का नाम हटाकर प्रतिवादीगण 01 लगायत 08 का दर्ज कर दिया। (सम्वत 2029 की जमाबन्दी) अतः यह तनकी वादी के पक्ष में सिद्व होती है।

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

3. हाल खसरा नम्बर 39 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा जिसका साबिक खसरा नम्बर 2/171 रकबा 16 बीघा 15 बिस्वा था। सम्वत 2029 के मिलान क्षेत्रफल से स्पष्ट है कि हाल खसरा नम्बरा 39/1–08 के साबिक खसरा नम्बर 2/171 रकबा 16–15 बीघा था एवं सम्वत 2022 के राजस्व रिकोर्ड के आराजी खसरा नम्बर 2/171 में जयराम के नाम का अंकन था परन्तु सम्वत 2029 के राजस्व रिकोर्ड में जयराम का नाम हटाकर प्रतिवादीगण 11 लगायत 12 का दर्ज कर दिया। (सम्वत 2029 की जमाबन्दी) अतः यह तनकी वादी के पक्ष में सिद्व होती है।
4. खसरा नम्बर 38/2–04 का प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 के नाम सेटलमेन्ट विभाग द्वारा गलत अंकन किया गया। यह तनकीयात 1 लगायत 3 से स्पष्ट हो चुका है। अतः गलत प्रविष्ठी से किसी का अधिकार सिद्व नही होता है। प्रतिवादी ने गलत अंकन के आधार पर बेचान किया है जो कि विधि विरूद्ध है। अतः किया गया बेचान वादीगण के हकूको के विरूद्ध बालित व बेआर है।
5. तनकीयात 1 लगायत 3 से स्पष्ट है कि सेलटमेट विभाग ने 2029 की जमाबन्दी में प्रतिवादीगण के नाम का गलत अंकन किया गया है। जबकी अंकन जयराम के वारियान का आना चाहिए था। अतः वादी इनके (प्रतिवादीगण) के नाम को हजफ कराने का अधिकारी है। तनकी वादी के पक्ष में तय की जाती है।
6. जब विक्रेता को बेचान का अधिकार ही नही था तो क्रेता सदभावी कैसे हो सकता है? विक्रेता ने अपने नाम गलत अंकन का लाभ उठाकर बेचान किया है। अतः क्रेता सदभावी नही हो सकता है। अतः यह तनकी प्रतिवादी के विरूद्ध तय कर वादी के पक्ष मे तय की जाती है।

वकील वादी व प्रतिवादी की ध्यानपूर्वक बहस सुनी गई एवं पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया गया कि समस्त तनकीयात वादीगण के पक्ष में तय होने की स्थिति वादीगण के वाद का यह न्यायालय स्वीकार योग्य पाता है।

–:: निर्णय ::–

अतः वाद वादी बहक वादीगण बरखिलाफ प्रतिवादी डिक्री किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा नम्बर 38/2–4, 39/1–8 वाके ग्राम आनाका तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0 को वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं विवादित आराजी खसरा नम्बर मे हो रहे प्रतिवादीगण के अंकन को हजफ कर वादीगण के नाम से हाल राजस्व रिकोर्ड में अमल दराम किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 28.4.22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(गजाधर मीणा)
सहायक कलक्टर
कोटकासिम (अलवर) राज0

न्यायालय सहायक कलक्टर कोटकासिम (अलवर) राज0

पीठासीन अधिकारी :– गगांधर मीणा (R.A.S.)

दावा सख्या
185 / 2002

रजू दिनांक
30.03.2002

पर्चा डिक्री दिनांक
28.4.22

उनवान

1. रामकंवार
2. रामकरण पुत्रान जयराम
3. रामशरण पुत्र जयराम (मृतक)

3/1 रमेश देवी पत्नी रामशरण
3/2 राकेश पत्रु रामशरण
3/3 बबिना देवी पुत्री रामशरण
3/4 महीपाल पुत्र रामशरण

4. रामाअवतार पुत्र जयराम
5. राजकरण पुत्र जयराम
6. शिवलाल पुत्र जयराम
7. रामफल पत्रु जयराम जाति अहीरान निवासीयान ग्राम आनाका तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0।

..... वादीगण

1. जीतराम पुत्र भूपसिंह

1/1 सरती देवी पत्नी जीतराम
1/2 मामचन्द
1/3 धर्मचन्द पुत्रान जीतराम
1/4 भाना देवी पुत्री जीतराम
1/5 महेन्द्र पुत्र जीतराम जाति अहीरान ग्राम आनाका

2/2 सुरेन्द्र पुत्र शेरसिंह

2/2/1 लाडोदेवी पत्नी सुरेन्द्र जाति अहीरान ग्राम आनाका
2/2/2 प्रीति पुत्री सुरेन्द्र जाति अहीरान ग्राम आनाका तहसील कोटकासिम
2/3 रतनलाल पुत्र शेरसिंह जाति अहीर ग्राम आनाका तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0।
2/4 राजो पुत्री शेरसिंह पत्नी रमेशचन्द जाति अहीर ग्राम नयागॉव तहसील व जिला रेवाडी हरि0।
2/5 धनवन्ती पुत्री शेरसिंह पत्नी शिवलाल जाति अहीर ग्राम मौकलवास तहसील व जिला गुरूगाम हरि0।
2/6 मीना पुत्री शेरसिंह पत्नी रामनिवास जाति अहीर ग्राम बाछोद तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ हरि0।

3. मातादीन पुत्र कन्हैया
4. शिवदयाल
5. सुबेसिंह पुत्रान जगराम
6. विष्णुदत्त
7. छोटेलाल

8. जयपाल पुत्रान जगराम जाति अहीरान ग्राम आनाका तहसील कोटकासिम
9. लालमन पुत्र सोहनलाल
10 प्रहलाद पुत्र सोहनलाल
11/1 भूपेन्द पुत्र लालाराम
11/2 धनसिंह पुत्रान लालाराम जाति अहीरान
11/3 किरणदेवी पुत्री लालाराम
11/4 सुनीता पत्नी लालाराम जाति अहीरान ग्राम आनाका तहसील कोटकासिम।
12. रोशनलाल पुत्र हेमकरण जाति अहीर ग्राम आनाका तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0।

—: प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

—: पर्चा डिक्री :—

वादी की ओर से **श्री पवन यादव एडवोकेट** की उपस्थिति एवं प्रतिवादीगण की ओर से **श्री बलराम यादव की** उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 28.4.22 को **श्री गंगाधर मीणा सहायक कलक्टर, कोटकासिम** के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और अन्तिम डिक्री दी जाती है कि—

हाल आराजी खसरा नम्बर 38/2—4, 39/1—8 वाके ग्राम आनाका तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0 को वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं विवादित आराजी खसरा नम्बर मे हो रहे प्रतिवादीगण के अंकन को हजफ कर वादीगण के नाम से हाल राजस्व रिकोर्ड में अमल दराम किया जावे।

यह अन्तिम निर्णय आज दिनांक 28.4.22 **को मेरे द्वारा लिखया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय सुनाया गया।**

(गंगाधर मीणा)
सहायक कलक्टर
कोटकासिम, जिला अलवर राज0